संख्या- 512 ई-2/तेरह-2010

प्रेषक,

नेत राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक:: 18 फरवरी, 2010

विषय:- प्रदेश में विषाक्त मदिरा के सेवन से हो रही जनहानि को रोकने तथा मिथाइल अल्कोहल के पेय मदिरा के रूप में दुरूपयोग को समाप्त करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के संबंध में ।

महोदय,

आप अवगत हैं कि विगत वर्षों में प्रदेश में विषाक्त मदिरा के सेवन से कई व्यक्तियों की मृत्यु का प्रकरण शासन के संज्ञान में आया है। ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि राजमार्गों पर स्थित ढाबों एवं कुछ अन्य अड्डों पर आसवनी से रेक्टीफाइड स्प्रिट/विशेष विकृत स्प्रिट ले जा रहे ड्राइवरों द्वारा स्प्रिट की कुछ मात्रा अनधिकृत व्यक्तियों को चोरी से बेच दी जाती है। साथ ही मिथाइल अल्कोहल ले जा रहे टैंकरों के ड्राइवरों द्वारा भी इसकी कुछ मात्रा चोरी से ढाबों/अन्य स्थानों पर बेच दी जाती है। इस प्रकार अवैध रूप से खरीदी गयी मिथाइल अल्कोहल से रेक्टिफाइड स्प्रिट के भ्रम में अवैध विषैली शराब का निर्माण हो जाता है, जिसके सेवन से इस प्रकार की दुःखद घटनायें घटित हो रही हैं । **ज्ञातव्य है कि मिथाइल अल्कोहल एक अतिघातक विष है जो कि सूँघने व देखने में इथाइल अल्कोहल/रेक्टीफाइड स्प्रिट के सदृश अर्थात समान ही होता है।** मिथाइल अल्कोहल एवं अन्य विषैले पदार्थ से निर्मित अवैध मदिरा के सेवन से विषाक्त मदिरा काण्ड घटित होते हैं।

अतः मिथाइल अल्कोहल एवं अन्य विषैले पदार्थ से निर्मित अवैध एवं विषाक्त मदिरा के सेवन से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित् करने का कष्ट करें:-

1. प्रदेश में मिथाइल अल्कोहल का उत्पादन करने वाली इकाईयों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य इकाई द्वारा भी जनपद में मिथाइल अल्कोहल का उत्पादन किया जाना पाया जाये, तो इस सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए, उक्त की सूचना शासन व आबकारी आयुक्त को तुरन्त उपलब्ध करायें ।
2. उक्त इकाईयों में मिथाइल अल्कोहल के उत्पादन,भण्डारण एवं बिकी पर कड़ी नजर रखी जाय।

3. मिथाइल अल्कोहल के प्रसंस्करण या भण्डारण के लिए प्रयुक्त प्रत्येक पात्र धारित टैंक या बर्तन पर उत्कीर्ण लेख का सुस्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक होगा। उक्त सम्बन्ध में लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित् कराया जाए।

4. उत्पादन परिसर से मिथाइल अल्कोहल की निकासी के पूर्व उत्पादक प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कर लें कि टैंकर पर सील भली प्रकार से लगा दी गयी है एवं आवश्यक चेतावनी अंकित कर दी गयी है तथा जहाँ सील लगी है, उसके अतिरिक्त टैंकर में अन्य कोई निकासी द्वार अथवा छिद्र आदि तो नहीं है, साथ ही सीलें यदि पुरानी हो गयी हों, तो नई सील बनवाई जाय। इस आशय का एक प्रमाण–पत्र उत्पादन करने वाली इकाई से भी ले लिया जाय ।

5. प्रदेश के सभी जनपदों में मिथाइल अल्कोहल के थोक एवं फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों की सूची भी संकलित कर जनपद स्तर पर अनुरक्षित की जाय । इस बात पर विशेष नजर रखी जाय कि कहीं इन इकाईयों द्वारा अवैध रूप से शराब बनाने वाले व्यक्तियों को मिथाइल अल्कोहल की बिक्री तो नहीं की जा रही है ।

6. राजमार्गो पर स्थित ऐसे ढाबों/संदिग्ध अड्डों/स्थानों को तत्काल चिन्हित करते हुए अवैध मदिरा एवं विषाक्त मदिरा विक्रय के अड्डों पर लगातार दबिश दी जाय । जनपद स्तर पर इनकी सूची/डाटाबेस तैयार कर उसकी एक प्रति आबकारी आयुक्त को भी उपलब्ध करायी जाय ।

7. मिथाइल अल्कोहल के प्रसंस्करण या भण्डारण के लिए प्रत्येक पात्र धारित, टैंक या बर्तन पर उत्तर प्रदेश प्वायजन्स (रेगुलेशन आफ पजेशन एण्ड सेल) (संशोधन) नियमावली 1994 में वर्णित कानूनी चेतावनी अंकित की जाए। मिथाइल अल्कोहल का परिवहन करने वाले टैंकरों पर भी उपरोक्त कानूनी चेतावनी का अंकित किया जाना अनिवार्य है। यदि कोई टैंकर उक्त प्राविधानों का अनुपालन न करते हुए प्रदेश की सीमा के अन्तर्गत परिवहन करेगा तो ऐसे टैंकर के ड्राइवर,उसके मालिक तथा अन्य संबंधित उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

8. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मिथाइल अल्कोहल का परिवहन करने वाले टैंकरों द्वारा किसी भी स्थिति में इथाईल अल्कोहल का परिवहन न किया जाये।

9. उक्त नियमावली के अन्तर्गत मिथाइल अल्कोहल को कब्जे में रखने व विक्रय करने के सम्बन्ध में अनुज्ञापन/परमिट लाइसेंस प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) द्वारा जारी किये जाने का प्राविधान है। अनुज्ञापन के सम्बन्ध में वर्णित समस्त प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित् कराया जाए।

10. विष अधिनियम एवं तत्संबंधित नियमावली के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारकों से इस प्राविधान का अनुपालन सख्ती से कराया जाय । यदि उपर्युक्त कानूनी चेतावनी का पालन न किया जा रहा हो तो उनके विरूद्व अनुज्ञापन के निलम्बन/निरस्तीकरण सहित अन्य नियमोचित कार्यवाही की जाय ।

11. प्रदेश के सभी जनपदों में पेन्ट एवं थिनर बनाने एवं बेचने वाली ऐसी इकाईयों, जिनके पास नियमानुसार विष अधिनियम एवं तत्संबंधित नियमावली के अन्तर्गत आवश्यक लाइसेंस न हो, उनके विरूद्व नियमानुसार तत्काल सख्त कार्यवाही की जाय । विशेष रूप से उन्हें नियमों की जानकारी देकर उनसे लाइसेंस प्राप्त करने हेतु कहा जाय ।

12. स्थानीय समाचार-पत्रों में इस संबंध में 15-15 दिन के अन्तराल पर विज्ञापन प्रकाशित कराये जायें, जिससे कि जन सामान्य को मिथाइल अल्कोहल के संबंध में जानकारी मिल सके ।

13. उक्त परिप्रेक्ष्य में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र/दिशा-निर्देशों का भली प्रकार से अनुपालन सुनिश्चित् किया जाए।

आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित् कराने का कष्ट करें, ताकि प्रदेश में विषाक्त मदिरा के सेवन से होने वाली घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण सम्भव हो सके।

भवदीय,

(नेत राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या- ई-2/तेरह-2010, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ
2- आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स,उत्तर प्रदेश ।
4- समस्त उप आबकारी आयुक्त , प्रभार ,उत्तर प्रदेश ।
5- समस्त जिला आबकारी अधिकारी,उत्तर प्रदेश ।
6- कार्यालय आदेश पुस्तिका हेतु।

आज्ञा से,

(नवल किशोर)
विशेष सचिव।